

०९/०३/२३

अपीलेंट अनुपास्थित) प्रकरण में अपीलेंट का न
ले एपिसिट पता अंकित है एवं न ही मोनारेंट
अंकित है। ऐसी परिस्थिति में प्रकरण में अपीलेंट
से संपर्क किया जाना संभव नहीं है अतः
पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज
की जाती है। पत्रावली फौसत युम्मार लेकर बाद
आवश्यक कार्यवाही धाखिल पुषर है।



राजेश्वर अपील प्राधिकारी
पाली